प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोत्साहन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित Monitoring cum Co-ordination Committee की सम्पन्न बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2018 का कार्यवृत्त-

उपस्थितिः-

1. सुश्री आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अनिल कुमार सागर, सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री भगवान स्वरूप, सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. श्री एम0पी0 अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. श्री देवीदास, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. श्री राजशेखर, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री संजय कुमार उपाध्याय, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. श्री शैलेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. श्री ए0के0 शर्मा, एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री वी0सी0 सिन्हा, संयुक्त महाप्रबन्धक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री कर्मेन्द्र सिंह, सी0जी0एम0(ए0), उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
14. श्री विनय श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
15. श्री पीयूष कुमार पोद्दार, मैनेजर नेटवर्क प्लानिंग, इण्डिगो एयरलाइन, नई दिल्ली।
16. श्री ए0के0 अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17. डॉ0 वी0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
18. श्री राकेश कुमार, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ।
19. श्री शकील अहमद खान, ए0जी0एम0, एयर इण्डिया।
20. श्री एस0एफ0ए0 नकवी, विशेष तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।

(A) आर0सी0एस0 प्रथम बिडिंग

1- आर0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रथम बिड में निम्नलिखित रूट्स चयनित हुए है:-

रूट्स	आपरेटर्स	उड़ान प्रारम्भ करने का लक्ष्य	वर्तमान स्थिति
1. लखनऊ-ग्वालियर	एयर उड़ीसा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	सितम्बर, 2017	**Waiting**
2. कानपुर-दिल्ली (2 उड़ान)	एयर उड़ीसा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड स्पाइसजैट लिमिटेड	सितम्बर, 2017 अगस्त, 2017	**Waiting**
3. कानपुर-वाराणसी	एयर उड़ीसा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	सितम्बर, 2017	**Waiting**
4. आगरा-जयपुर	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड	जून, 2017	प्रारम्भ 8.12.2017
5. आगरा-दिल्ली	डैक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त, 2017	**Waiting**

विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त रूट्स में से

2/...

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आगरा-जयपुर रूट पर एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 से उड़ान सेवा आरम्भ कर दी गई है।

2- एयर उड़ीसा द्वारा उड़ान प्रारम्भ करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर स्लॉट के आवण्टन हेतु सम्बन्धित ऑपरेटर **Delhi International Airport Limited** से अनुरोध किया गया है किन्तु अभी तक एयर उड़ीसा को उपयुक्त स्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा अभी तक उड़ान सेवा प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव की ओर से स्लॉट आवण्टित कराने हेतु सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध कर लिया जाए।

3- डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा बिड किए गए आगरा-दिल्ली पर उड़ान सेवाएं फरवरी, 2018 में प्रारम्भ कर दी जाएंगी।

4- स्पाइस जैट द्वारा कानपुर-दिल्ली रूट के लिए बिड किया गया है परन्तु उनसे कोई **communication** नहीं हो सका है, अतएव अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(B) <u>आर0सी0एस0 द्वितीय बिडिंग</u>

विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया कि आर0सी0एस0 की द्वितीय बिडिंग में राज्य के 09 और एयरपोर्ट्स के लिए बिड प्राप्त हुई हैं जिनका परीक्षण नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। द्वितीय बिडिंग के अन्तिम परिणाम सम्भवत: जनवरी, 2018 के अन्त तक घोषित कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रथम चरण और द्वितीय चरण के निम्नलिखित एयरपोर्ट चयनित/बिड हुए हैं:-

1. आगरा
2. कानपुर
3. इलाहाबाद
4. श्रावस्ती
5. अलीगढ़
6. चित्रकूट
7. म्योरपुर (सोनभद्र)
8. आजमगढ़
9. झांसी
10. बरेली
11. मुरादाबाद

(C) <u>आर0सी0एस0 के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना</u>

1- आर0सी0एस0 स्कीम के लिए निष्पादित किए गए एम0ओ0यू0 में उल्लिखित **concessions/ supports** राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की वचनबद्धता के अनुक्रम में अधिसूचना

3/...

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2084/छप्पन-2017-52/2017 दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 जारी की गई है जिसमें इन **concessions/ supports** को प्रदान किए जाने की वचनबद्धता को दोहराया गया है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत आर0सी0एस0 प्रथम बिडिंग तथा द्वितीय बिडिंग के उपरोक्त एयरपोर्ट्स का भी उल्लेख है।

2- विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपर्युक्त एयरपोर्ट्स पर राज्य सरकार से अपेक्षित आवश्यकताओं की तैयारियां समयान्तर्गत कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विभागों द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली जाएं:-

(1) लोक निर्माण विभाग- एयरपोर्ट रोड कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण की कार्य योजना।

(2) गृह विभाग- प्रत्येक एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था तथा इस हेतु सुरक्षा में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों का ससमय समुचित प्रशिक्षण करा लिया जाना आवश्यक है। विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आर0सी0एस0 योजना प्रारम्भिक रूप से 03 वर्षों के लिए ही है, तथा यदि एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के लिए कार्मिकों की आवश्यकता है तो उनके पदों का सृजन अस्थायी रूप से 03 वर्षों के लिए किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाए। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से सुरक्षा व अग्निशमन हेतु आवश्यक मैनपावर की वयवस्था गृह विभाग समय से सुनिश्चित की ले।

(3) स्वास्थ्य विभाग- एयरपोर्ट पर आकस्मिक एवं सामान्य चिकित्सा सुविधाएं यथा एम्बुलेन्स, डॉक्टर, स्टॉफ, उपकरण इत्यादि के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्य योजना। यह निर्णय भी लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्री ए0के0 शर्मा, एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लखनऊ से स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी ली जा सकती है।

(4) परिवहन विभाग- उड़ान के समय यात्रियों के आवागमन एवं प्रस्थान के अनुसार समुचित यातायात/बस सुविधा की कार्ययोजना/रूट्स निर्धारित कर लिए जाएं। **Timings** के सम्बन्ध में बाद में **flight schedule** के दृष्टिगत निर्णय लिया जाए।

(5) अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा भी अपनी कार्य योजना तैयार कर ली जाएं।

3- निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार करके नागरिक उड्डयन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(D) <u>अन्य बिन्दु</u>

1- दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों के बढ़ते दबाव के कारण वहां पर वायुसेवा के लिए स्लॉट मिलने/संचालन आरम्भ होने में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हिन्डन एयरबेस से वायुसेवा का संचालन प्रस्तावित किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि

4/...

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त एयरपोर्ट पर संचालन आरम्भ होने से पूर्व जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा हिन्डन एयरबेस के पास पार्किंग सुविधा, यातायात सुविधा, ई-बुक टैक्सी एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली जाए और उसे नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि एयरपोर्ट संचालन के समय यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़ें।

2- आर0सी0एस0 के अन्तर्गत चयनित एयरपोर्ट्स को यथावश्यकता नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय के पत्र संख्या-**AV.20036/49/2017-AD** दिनांक 24 नवम्बर, 2017 में अवगत कराया गया है कि आर0सी0एस0 में चयनित **unserved/under-served** एयरपोर्ट्स के **upgradation** का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। अत: विकल्प है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन एयरपोर्ट्स को केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों से विकसित किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि आर0सी0एस0 द्वितीय बिडिंग में चयनित होने वाले एयरपोर्ट्स को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाए। उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व वाले एयरपोर्ट्स जैसे- श्रावस्ती, अलीगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र), आजमगढ़, झांसी, मुरादाबाद पर **Aerodrome License** के लिए आवेदन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा कर लिया जाए। एयरपोर्ट के लिए **Operator** का निर्धारण बाद में कर लिया जाएगा।

3- वित्त विभाग से अपेक्षा की गई कि आर0सी0एस0 योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए अपने विभाग से सम्बन्धित शासनादेश शीघ्र जारी करें।

4- आर0सी0एस0 योजना के क्रियान्वयन के लिए एन0आई0सी0 द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाना है। इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सॉफ्टवेयर बनाए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है और शीघ्र सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाएगा। अपेक्षा की गई कि सॉफ्टवेयर को शीघ्र विकसित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

5/...

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-10/2018/122/छप्पन-2018-71/13 टी0सी0-।।
लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- बैठक में उपस्थिति समस्त अधिकारीगण।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।